दिनांक 28.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। प्रार्थनापत्र टी.आई. में वर्णित तथ्यों के मुख्य बिन्दुओं को दोहराते हुये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि भूमि वादग्रस्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता का सहखातेदार के रूप में हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी द्वारा भाग अपने स्व. पिता रहमतशाह के हिस्से में अपने हिस्से के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। जिसका अभी विरासती नामांतकरण तस्दीक नहीं हुआ है तथा प्रार्थी अपने स्व. पिता रहमतशाह का जायन्दा पुत्र होने के कारण अपने 1/9 हिस्से (विधिक हिस्सा) को प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। जिसके संदर्भ में मूलवाद प्रस्तुत किया गया है, परन्तु विवादित भूमि का विधिवत नामांतकरण स्वीकृत नहीं होने व विभाजन नहीं होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधि विरूद्ध विक्रय किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें मिन प्रार्थी का भी हिस्सा निहित है। अतः अप्रार्थीगण को भूमि के विधिवत विभाजन होने तक विक्रय से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि वादग्रस्त को मूलवाद के निस्तारण तक संरक्षित रखते हुए अप्रार्थीगण को विक्रय से पाबन्द किया जावे।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्व खाता संख्या (नवीन) 26, 118, 116 व 125 की भूमि हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें (उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार) प्रार्थी के पिता रहमत शाह का क्रमशः 1/4, 1/2, 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज अंकित है। वादपत्र व प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार खातेदार (सहखातेदार) रहमतशाह की मृत्यु होना दर्शित किया गया है तथा उपरोक्तानुसार नामांतकरण प्रकिया पूर्ण नहीं होना भी उल्लेखित किया गया है तथा प्रस्तुत सजरा अनुसार प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि में 1/9 हिस्सा सिद्ध प्रतीत होता है। जिसका किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा किसी भी स्तर पर कोई मान्य/अमान्य खंण्डन भी नहीं किया गया है, अपितु अप्रार्थीगण तो बावजूद विधिवत् प्रकिया के नोटिस प्रेषित किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हक व अधिकार तथा वर्णित तथ्य उचित प्रतीत होते है। यद्यपि यह मूलवाद में साक्ष्यों व तथ्यों के गुणावगुण के विषय है, परन्तु चुँकि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध प्रतीत होती है। अतः मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक पूर्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम श्यामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.न. [illegible] 19, 35, 38/504, 57, 06, 9/499, 36, 37, 38, 44 लगायत 48, 50, 51, [illegible] कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 3.78 है. के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.24 12:20:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर